Government of Haryana HOME DEPARTMENT NOTIFICATION

:- Whereas the Governor of Haryana considers it expedient No. 1/101/2010-1HC that precautions shall be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. S.O. 1788, dated the 19th May, 1967, published in the Government of India Gazette dated 27th May, 1967, the Governor of Haryana hereby declares the places specified in column 1 of the Schedule given below to be a prohibited place for the purposes of the said Act namely:-

SCHEDULE

Name of Prohibited Place

· Locality and other description

2.

Sub Station SV-4 (Sectionalizing Valves).

Total Area 0.625Acre/2530 sq. mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Dehra,

Village -Dehra, Tehsil- Panipat District- Panipat, Haryana

Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana

Sub Station SV-5 (Sectionalizing Valves),

Total Area 0.625Acre/2530 sq. mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Diwana, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana

Village - Diwana, Tehsil - Panipat District - Panipat, Haryana

Sub Station SV-6 (Sectionalizing Valves), Total Area 0.625Acre/2530 sq.mtrs "This area is sanctionalizing Station of Dadri-Panipat RLNG Gas Pipeline under NRPL Panipat. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Binjhol, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana.

Village - Binjhol, Tehsil - Panipat District- Panipat, Haryana

Sub Station SV-46 (Sectionalizing Valves), Total Area 0.25 Hectare/2580 sq. Mtrs "This area is sectionalizing Station of Mumbai Manmad-Bijwasan Gas Pipeline under Bharat Petroleum Corporation Ltd. Piyala Pipeline Terminal, Faridabad. The sectionalizing valve is provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village - Khambi, Tehsil -Hodal,

District - Palwal, Haryana

Village - Khambi, Tehsil - Hodal District - Palwal, Haryana

Dated 31/3/2017

Ram Niwas Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department

Endst. No. 1/101/2010-1HC

Dated Chandigarh, the

A copy of the same is forwarded to the Controller, Printing and Stationary, Haryana for publication in the Government Gazette (Extraordinary) and 150 copies thereof be supplied to the Home Department immediately.

> for Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department

Endst. No. 1/101/2010-1HC

action:-

Dated Chandigarh, the 21-4-2017

A registered copy to forwarding to the following for information & necessary

- 1. Sh. Yogesh Vijay, Chief Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region-Pipelines, P.O. Panipat Refinery, Baholi, Panipat-132140 w.r.t your office letter No. NRPL/PNP/Statutory/114 dated 04.04.2016.
- Sh. Bibhor Raitani, Assistant Manager (ROU) Pipelines, Bharat Petroleum Corporation Ltd. Piyala Pipeline Terminal Village - Piyala, Post Office - Aasoti, Tehsil-Ballabhgarh, Distirct - Faridabad, Haryana.
- The Director General of Police, Haryana
- All the District Magistrate in Haryana.
- 5. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-4, Village- Dehra, Tehsil- Panipat, District-Panipat, Haryana.
- 6. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-5, Village - Diwana, Tehsil - Panipat, District-Panipat, Haryana.
- 7. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-6, Village - Binjhol, Tehsil - Panipat, District - Panipat, Haryana.
- 8. The Incharge of Sectionalizing Volves, SV-46, Village - Khambi, Tehsil - Hodal, District-Palwal, Haryana
- 9. ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Government of Haryana.

The Technical Officer, IT Cell, Home Department, Haryana. (in Home-IV Branch).

Under Secretary, Home(C) for Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department

हरियाणा सरकार गृह विभाग अधिसूचना

दिनांक 21, 4, 2017

संख्या—1/101/2010—1एच.सी —चूंकि हरियाणा के राज्यपाल के विचार में आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वोपय किये जाने समीचीन हैं;

इसलिए, अब भारत सरकार राजपंत्र दिनांक 27 मई, 1967 में प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या का आ. 1788, दिनांक 19 मई, 1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 2 के खण्ड़ (8) के उप खण्ड़ (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिग्ट रथानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

रथान का नाम

परिक्षेत्र तथा अन्य विवरण

2

उप स्टेशन, एस. वी-4. (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड/2530 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र दादरी-पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशनहैं। स्वीकृत वाल्व पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतू, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपल्ब्ध करवाया गया है। गांव -दंहरा, तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत।

गांव – देहरा, तहसील–पानीपत, जिला– पानीपत।

2. उप स्टेशन, एस. वी—5, (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड़ / 2530 वर्ग मीटर यह क्षेत्र दादरी—पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशन हैं। स्वीकृत वाल्व पैट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतू, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपल्ब्ध करवाया गया है। गांव —दीवाना, तहसील—पानीपत,

गांव— दीवाना, तहसील—पानीपत, जिला— पानीपत।

3. उप स्टेशन, एस. वी—6, (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.625 एकड़ / 2530 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र दादरी—पानीपत आरएलएनजी गैस पाइपलाइन पर स्थित एनआरपीएल पानीपत के तहत स्वीकृत स्टेशनहैं। स्वीकृत वाल्व पैट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतू, पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपल्ब्ध करवाया गया है। गाव— बिंझोल, तहसील—पानीपत, जिला— पानीपत।

जिला- पानीपत।

गांव— बिंझोल, तहसील—पानीपत, जिला— पानीपत। उप स्टेशन, एस. वी-46, (अनुभाग स्वीकृत वाल्व) कुल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर / 2580 वर्ग मीटर 'यह क्षेत्र मुंबई-मनमाड़-बिजवासन गैस पाइपलाइन पर स्थित भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पियाला पाईप लाईन ट्रमिनल, तहसील- बल्लबगढ़ जिला- फरीदाबाद के तहत स्वीकृत स्टेशन है'। स्वीकृत वाल्व पैट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करने हेतू , पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपल्ब्ध करवाया गया है। गांव - खाम्बी, तहसील-होडल, जिला- पलवल।

गांव- खाम्बी, तहसील-होडल, जिला- पलवल।

दिनांक 31-03-2017

राम निवास अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग चण्डीगढ़।

संख्या-1 / 101 / 2010-1एच.सी.

चण्डीगढ दिनांक

इसकी एक प्रति कन्ट्रोलर, मुद्रण एंव लेखन साम्रगी विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस आग्रह के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त उधिसूचना को हरियाणा सरकारी राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाए और उसके उपरान्त इसकी 150 प्रतियां गृह विभाग को तुरन्त उपलब्ध करवाई जाएं।

> जसवार रिष्ट अवर सचिव, गृह (सी.) कृतेः अतिरिक्त मुख्यं सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग

> > चण्डीगढ़ दिनांक 21-4-2017

संख्या-1 / 101 / 2010-1एच.सी.

इसकी एक पंजीकृत प्रति निम्नलिख्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्री योगेश विजय, मुख्य परिचालन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उतरी

क्षेत्र— पाईपलाईंस, पी. ओ. पानीपत रिफाइनरी, बहोली, पानीपत।

- 2. श्री विभार रैतानी, सहायक प्रबंधक, (आर.ओ.यु)— पाईपलाईस, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पियाला पाईप लाईन ट्रमिनल, गांव पियाला, तहसील- बल्लबगढ़ जिला-फरीदाबाद।
- 3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
- 4. हरियाणा के सभी जिला न्यायाधीश।
- अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-4, गांव- देहरा, तहसील-पानीपत, हिरयाणा।
- अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-5, गांव-दीवाना, तहसील-पानीपत, हरियाणा।
- अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-6, गांव-बिंझोल, तहसील-पानीपत, हरियाणा।
- 8. अनुभागिय प्रभारी वाल्व, एस. वी-46, गांव-खाम्बी, तहसील-होडल, जिला- पलवल,
- 9. ए.एल.आर.- कम- अवर सचिव (कानून), हरियाणा सरकार।
- 10 र्तिकनीकी अधिकारी, आई.टी. सैल, गृह विभाग, हरियाणा (गृह शाखा-IV)।

अवर संचिव, गृह (सी.) कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभागू